संख्या-20 /2018/ 2001 /46-3-18-3(34-ए)/2018

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,

उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2018

विषय- किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-24 (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, **द्वितीय किश्त** की, वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुक्रम में, इस हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये विषयक शासनादेश संख्या-17/2018/1877/46-3-18-3(34-ए)/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 का तथा द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषण विषयक अपने पत्र संख्या-4433/क्रय, दिनांक 17 नवम्बर, 2018 को कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में हुई गिरावट व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसानो के बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से, राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय एवं तद्हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-24 (राजस्व लेखा) में **प्राविधानित धनराशि अंकन रु.5,00,00 लाख (रुपया पॉच सौ करोड़ मात्र) में से प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त धनराशि अंकन रु.1,60,00 लाख (रुपया एक सौ साठ करोड़ मात्र) के पश्चात, द्वितीय किश्त के रूप में, वर्तमान में अवशेष धनराशि रु.3,40,00 लाख (रुपया तीन सौ चालीस करोड़ मात्र) को,** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एवं उपर्युक्त शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार व्यय/उपयोग किये जाने की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय सहायता की धनराशि पेराई सत्र 2017-18 में चीनी मिल के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष समायोजित करते हुए सीधे किसानों को, डीके माध्यम से .टी.एफ.ई.एन/.एस.जी.टी.आर/टी.बी., सीधे उनके खातें में भुगतान की जायेगी तथा ऐसे कृषकों जिनका शतप्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान चीनी- मिल द्वारा किया जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

चुका है, के सापेक्ष वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान चीनी मिल को किया जायेगा।

(2) वित्तीय सहायता का आगणन चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये कुल गन्ने की मात्रा के आधार पर, रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से, किया जायेगा तथा यह धनराशि, संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं चीनी मिल के संयुक्त संचालन में खोले गये एस्क्रो एकाउन्ट में हस्तांतरित की जायेगी।

(3) वित्तीय सहायता की मांग हेतु चीनी मिल द्वारा अपना अनुरोध पत्र एस्क्रो एकाउन्ट के खाते के विवरण सहित, संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से, उनकी संस्तुति/प्रमाण-पत्र सहित, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रेषित किया जायेगा।

(4) वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में देय हुए गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किये जाने हेतु वर्तमान में निर्धारित कट-आफ-डेट 30 नवम्बर, 2018 होगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों को उक्त तिथि तक पेराई सत्र 2017-18 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(5) वित्तीय सहायता के मद में गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के विवरण सहित, उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में दिये गये निर्देशों व निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए वित्तीय सहायता के रुप में दी जाने वाली धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय सहायता हेतु किया जायेगा तथा इसका किसी भी दशा में किसी अन्य प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक हो, तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय सहायता मद में ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 तथा शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244 /2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं वित्त विभाग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद को नियमित रुप से उपलब्ध कराने तथा लेखों का नियमित मिलान, महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद से अवश्य कराया जायेगा। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा। गन्ना एवं चीनी आयुक्त, अनुदान/भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार करेंगे।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय, ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(12) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-934/दस-2008-मित.-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रुप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

2- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के अधीन लेखा शीर्ष-"2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-09-वित्तीय वर्ष 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या-ई-6-888/दस-2018, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राकेश कुमार मिश्र
विशष सचिव।

संख्या- 20 /2018/ 2001(1)/46-3-18-3(34-ए)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
7- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

11- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2

12- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।